

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:-सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस
ग्रामीण सेवा शिविर 2025 ग्राम-रानीदेशीपुरा
राजस्व आवेदन संख्या :-227 /2025

प्रार्थी:-

मांगीलाल उर्फ मांगाराम उर्फ मगाराम पुत्र जोगाराम जाति कलबी
निवासी रानीदेशीपुरा तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:-

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदड़ी जिला
बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956

उपस्थित:- श्री हीराचंद सुथार
प्रार्थी वकील

--: आदेश ::- दिनांक :-19.09.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की संयुक्त
खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 683/221, 686/325, 700/313,
702/314, 11, 161, 199, 200, 202, 203, 207, 28, 38 ग्राम रानीदेशीपुरा
व खसरा संख्या 103, 217 व 213 ग्राम मौखण्डी तहसील समदड़ी में
अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी
के अन्य समस्त दस्तावेजात-यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी,
जनाधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम मांगीलाल पुत्र
जोगाराम ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश
प्रार्थी का नाम मांगीलाल पुत्र जोगाराम के स्थान पर 'मांगाराम पुत्र
जोगाराम व मगाराम पुत्र जौगाराम' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम
अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का
लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त
करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की
गई। तहसीलदार समदड़ी के पत्र क्रमांक-ग्रा.से.शि./2025/44 दिनांक
19.09.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट
प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड,
बैंक डायरी, जनाधार कार्ड, पेन कार्ड, आदि प्रस्तुत किये।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनका वास्तविक नाम
मांगीलाल पुत्र जोगाराम है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश नाम
मांगाराम पुत्र जोगाराम व मगाराम पुत्र जौगाराम लिख दिये जाने से राजस्व



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, जनाधार कार्ड, पेन कार्ड, आदि दस्तावेजात में उनका नाम मांगीलाल पुत्र जोगाराम दर्ज है। तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम मांगीलाल पुत्र जोगाराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रानीदेशीपुरा के खसरा संख्या 683/221, 686/325, 700/313, 702/314, 11, 161, 199, 200, 202, 203, 207, 28, 38 व ग्राम मौखण्डी तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 103, 217 व 213 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'मांगाराम पुत्र जोगाराम व मगाराम पुत्र जौगाराम' के स्थान पर 'मांगीलाल उर्फ मांगाराम पुत्र जोगाराम' व मांगीलाल उर्फ मगाराम पुत्र जोगाराम उर्फ जौगाराम दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.09.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 ग्राम रानीदेशीपुरा में सरे आम सुनाया गया ।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपलब्ध अधिकारी
सिवान (बालोसगा)